

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी वेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202004 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक १०८० / 14-1,

दिनांक: अलीगढ़: जनवरी ३ / 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम-निधौली खुर्द के खसरा संख्या- 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा का पत्रांक 1312/14-1, दिनांक 13.01.2017.


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने कार्यालय पत्रांक- 1312/14-1, दिनांक 13.01.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है। अतः आपत्तियों पर आख्या निर्धारित प्रारूप में मय संलग्नक 3 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

क्र0सं0	भारत सरकार की आपत्ति का विवरण	अनुपालन की स्थिति
1.	प्रकरण से सम्बन्धित भूसंदर्भित मानचित्र की kml file की सी0डी0 खुल नहीं रही है, अतः स्पष्ट एवं सही सी0डी0 प्रस्तुत की जाये।	प्रकरण से सम्बन्धित भूसंदर्भित मानचित्र की kml file की सही सी0डी0 जो खुल रही है, संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के क्षेत्रफल में संशोधन भी हुआ है पूर्व क्षेत्रफल 0.0768 हे0 के स्थान पर 0.0794 हे0 संशोधित हुआ है, किन्तु प्रकरण में संलग्न सभी प्रमाण पत्र संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अतः प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाण इत्यादि संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत करें।	प्रकरण से सम्बन्धित पार्ट-1 व पार्ट-2 साइट स्पेक्शन रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, FRA- 2006 प्रमाण पत्र, एन0पी0वी0 भुगतान की वचनबद्धता, मानक शर्तें, भारत सरकार के पत्रांक- 11/268/2014-एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 की अनुपालन आख्या, मय मैनेजमेंट प्लान, वन स्वरूप क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, क्षतिपूरक प्राक्कलन आदि के दस्तावेजों में संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार 0.0794 हे0 अंकित कर संलग्न किये जा रहे हैं।
3.	प्रकरण के ऑन लाइन विवरण (Online Version) में भी संलग्न प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार Update नहीं किये गये हैं, जिसे Update किया जाये।	प्रकरण के ऑन लाइन विवरण (Online Version) में भी संलग्न किये जा रहे प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार Update कर दिये गये हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक १०८० / 14-1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनाार्थ प्रेषित।


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।